



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 251]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

सं. 29/2017-सीमाशुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 315(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 ज की उपधारा (1) और (3) के साथ पठित धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली, 2002 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, अर्थात्-

1. (1) ये नियम, सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियमावली, 2017 कहे जा सकेंगे।

(2) ये अप्रैल, 2017 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली 2002 में, नियम 2 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

'(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-ण के तहत अग्रिम विनिर्णय के लिए गठित प्राधिकरण से है;'

[फा. सं.275/38/2016-सीएक्स.8ए]

या. स. कारू, अवर सचिव

टिप्पणी प्रधान नियमावली भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या 55/2002-सीशु (गै.टै.) दिनांक 23 अगस्त, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना

संख्या 54/2003-सीशु (गै.टै.) दिनांक 23 जुलाई, 2003 के तहत किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 23 जुलाई, 2003 के सा.का.नि. 578(ड.) के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

No. 29/2017-Cus. (N.T.)

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 read with sub-sections (1) and (3) of section 28 H of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Customs (Advance Rulings) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2017.
2. In the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
'(b) "Authority" means the Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);'.

[F. No.275/38/2016-CX.8A]

Y. S. KAROO, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 593(E), dated the 23rd August, 2002 vide Notification No. 55/2002-Cus(N.T.) dated the 23rd August, 2002 and last amended vide notification No.54/2003-Cus (N.T.), dated the 23rd July, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 578 (E), dated the 23rd July, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

सं. 8/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 316(अ).—केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 23 ग की उपधारा (1) और (3) तथा धारा 23 घ की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली, 2002 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) ये नियम, केंद्रीय उत्पादशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियमावली, 2017 कहे जा सकेंगे।
(2) ये अप्रैल, 2017 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।